न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/61/2021	01–10–2019	15–02–2021

01–हुरली पत्नी दीनू जाति मेव निवासी ग्राम गन्धोला तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1–नायब तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

01. श्री दिनेश यादव –वकील अपीलाण्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 सं01

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार, टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर के आदेश दिनांक 20–12–2004 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 356 वाके ग्राम गन्धोली तहसील तिजारा जिला अलवर में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 17 बिस्वा, 674 रकबा 1 बीधा कुल किता 2 रकबा 1 बीधा 17 बिस्वा श्री अमरसिंह पुत्र श्री मदेखां जाति मेव निवास ग्राम गन्धोला से जरिये बयनामा दिनांक 03.09.2004 को खरीद की गई जो बयनामा दिनांक 08.09.2004 को जिल्द सं0 193 पृष्ठ संख्या 121 क्रम संख्या 2321 पर पंजीबद्व किया गया है। बयनामा में अपीलान्ट का सही नाम हुरवी पत्नी दीनू अंकित है, तथा उक्त बयनामा के आधार पर विवादित इंतकाल को दर्ज किया गया है जिसमें क्रेता अपीलान्ट का नाम हुरवी के स्थान पर हुरली दर्ज किया गया है। विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व तहत अदालत द्वारा बयनामा का अवलोकन नहीं किया गया, और अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी अपीलान्ट के पीछे से बाला–बाला तस्दीक किया गया है। विवादित इंतकाल में अपीलान्ट का नाम गलत अंकित करने से अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है अपीलान्ट को सरकार से मिलने वाले लाभ व सहायता से वांछित हो रही है, और ना ही किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा पा रही है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ तथ्य कानून मौका राजस्व रिकार्ड प्रतिपादित

जिला कलक्टर, अलवर

न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, इसलिये विवादित आज्ञा को अपीलान्ट के नाम सही करने की हद तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट को अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 27–02–2019 नकल लेने गया तो जानकारी हुई और दिनांक 27–02–2019 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि और दिनांक 27–02–2019 को प्रमाणित प्रति के माध्यम से हुई जिस पर दिनांक 21.12.2004 से जानकारी की दिनांक 27.02.2019 तक का समय अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जाबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पस्ट करना होता है। नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय में वाद करना चाहिऐं। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश दिनांक 20–12–2004 के विरूद्ध दिनांक 19–03–2019 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व तहत अदालत द्वारा बयनामा का अवलोकन नहीं किया गया, और अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी अपीलान्ट के पीछे से बाला–बाला तस्दीक किया गया है। बयनामा में अपीलान्ट का सही नाम हुरबी पत्नी दीनू अंकित है, तथा उक्त बयनामा के आधार पर विवादित इंतकाल को दर्ज किया गया है जिसमें क्रेता अपीलान्ट का नाम हुरबी के स्थान पर हुरली दर्ज किया गया है। अपीलीय इंतकाल के कायम रहने से अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। अपीलीय आदेश का अवलोकन किया तहत अदालत ने विवादित इंतकाल हूरजी पत्नी दीनू मेंव सा0देह खातेदार दर्ज व स्वीकार किया गया है। जबकि बयनामा में श्रीमती हूरबी पत्नी दीनू जाति मेंव अंकित है। बयनामा की विस्तृत जांच किये बिना ही अपीलीय इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर लिया जो उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमान्ड किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर का आदेश दिनांक 20–12–2004 बाबत नामान्तरण

जिला कलक्टर, अलवर

संख्या–356 ग्राम गन्धोली तहसील तिजारा हूरली के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार तिजारा जिला अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह बयनामा की जांच कर व पक्षकारान की सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर